

30/6/22

आज यह पत्रावली पेश इस केंद्रकर्ता के द्वारा प्रकरण को पेश किए 90 दिवस का समय हो चुका है। अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्राची का प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा 148 (क) CPC इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली विधि होकर गारंटर से कम होकर दाखल पत्र हो



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री कटणपुर